



TRIPS के 30 वर्ष

प्रलम्ब के लिये:

[वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन \(WIPO\)](#), भारत में पेटेंट मानदंड, [राष्ट्रीय IPR नीति](#), [TRIPS](#)

मेन्स के लिये:

[बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे](#), एक मजबूत IPR पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका और महत्त्व, भारत का वर्तमान परिदृश्य, TRIPS का महत्व

[स्रोत: डब्ल्यू.टी.ओ.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वैश्व व्यापार संगठन \(WTO\)](#) के सदस्यों ने [बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं \(TRIPS\)](#) पर समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई।

- [माराकेस](#) में एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया गया जिसके आधार पर 1995 में WTO बनाया गया। TRIPS नामक इस समझौते का प्रभाव लंबे समय तक रहा है।

ट्रिप्स समझौते का विकास:

- **वेनेशियन पेटेंट कानून (1474):** यह यूरोप में पहली संहिताबद्ध पेटेंट प्रणाली थी, जिसने आविष्कारकों को "नए और सरल उपकरणों" पर अस्थायी एकाधिकार प्रदान किया।
- **औद्योगिक क्रांति एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता (19वीं शताब्दी):** तीव्र तकनीकी प्रगति ने पेटेंट कानूनों के सामंजस्य की आवश्यकता उत्पन्न की।
 - [पेरिस कन्वेंशन \(1883\)](#) अन्य देशों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिये उठाया गया पहला कदम था।
 - [टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता \(General Agreement on Tariffs and Trade- GATT\)](#) ने बौद्धिक संपदा को सीमिति तरीके से संबोधित किया।
 - **1987 से 1994 तक चले [उरुग्वे राउंड](#)** में माराकेस समझौते के परिणामस्वरूप **WTO** की स्थापना हुई, जिसमें **TRIPS** समझौता भी शामिल था।
 - **TRIPS पर WTO समझौता बौद्धिक संपदा (IP) पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।**

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मरीकेश VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल



बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक् करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में TRIPS समझौते की क्या भूमिका रही है?

- IP कानूनों का सामंजस्य: TRIPS ने सदस्य देशों में IP सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किये हैं।
 - TRIPS ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग के लिये अधिक पूरवानुमानित कानूनी वातावरण तैयार किया।

- **पारदर्शिता में वृद्धि:** TRIPS ने सदस्यों को अपने बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों एवं वनियमों को स्पष्ट करने के लिये बाध्य किया, जिससे वैश्विक IP प्रणाली में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
- **ज्ञान साझा करना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** पर TRIPS प्रावधान वकिसति और वकिसशील देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
 - वकिसति देश कुछ शर्तों के तहत वकिसशील देशों को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** करने के लिये तंत्र प्रदान करने के लिये बाध्य हैं।
- **सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना:** WTO ने **SDGs** लक्ष्यों के अनुरूप, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये दायित्वों के साथ अधिकारों को संतुलित करने में TRIPS की भूमिका पर प्रकाश डाला।
 - 1990 के दशक के उत्तरार्ध के संकट के दौरान **एंटीरेट्रोवायरल द्रिस्टमेंट** तक पहुँच प्रदान करने के लिये TRIPS का लचीला होना आवश्यक था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान इसके महत्व को दर्शाता है।

प्रश्न.2 नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधनियिम के अनुसार, कसिी बीज को बनाने की जैव प्रक्रयिा को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है ।
2. भारत में कोई बौद्धकि संपदा अपील बोर्ड नहीं है ।
3. पादप कसिमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं ।

उपरयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धकि संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं । कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तयिों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयि । (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/30-years-of-trips>

